

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-948/2019/ दिनांक:-


आदेश

निम्नलिखित नर्स श्रेणी द्वितीय, को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित जन्म तिथि के आधार पर मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1.	योगेश कुमार सैनी	अलवर	15.07.1959	18.05.1987	31.07.2019
2.	गोविन्द सिंह राव	सिरोही	06.07.1959	05.06.1989	31.07.2019

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 25-02-19

क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-948/2019/268

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर/जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/ सिरोही।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. डीपीसी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।